

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पौचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पिटल रोड,

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०:-PMAA/PCRN/^{Mustafapur}/_{Danapur}/B+G+8/31/2019 - 919

पटना, दिनांक-09.12.2020

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,

बिहार पटना।

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह,

प्रबंध निदेशक-भवानी होम्स प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०,

पिता-स्व. रामनाथ सिंह,

प्लॉट नं०-GI, ब्लॉक-ए,

नारायण विला अपार्टमेंट, नियर गाँधीमूर्ती,

पटेल नगर, पटना।

विषय:- प्लान केस संख्या- PMAA/PCRN/^{Mustafapur}/_{Danapur}/B+G+8/31/2019 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०-PMAA/PCRN/^{Mustafapur}/_{Danapur}/B+G+8/31/2019 दिनांक-22.05.2019 के संदर्भ में श्री संजय कुमार, पिता-स्व. रामनाथ सिंह, पटेल नगर, जिला-पटना, बिहार के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा-मुस्तफापुर, सर्वे थाना-दानापुर, थाना सं०-36, सर्वे प्लॉट सं०-213, 214, 215, 216(अंश) खाता सं०-237, 244, 240, 251, Tauzi No-5276 में आवासीय भवन, (B + G + 08) दिनांक-03.12.2020 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से व्यावसायिक सह आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 2208.71 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। ब्रेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. भूखण्ड के पश्चिम तरफ सामने 18.45मी० से 18.30मी० चौड़ी सड़क अवस्थित है तथा भूखण्ड के पूरब में 18.30मी० चौड़ी सड़क मास्टर प्लान 2031 में प्रावधानित है। जिसका क्षेत्रफल 875.54 वर्गमीटर है। इस Area को Deed of Transfer in favour of Patna Metropolitan Area Authority के पक्ष में कार्यपालक दण्डाधिकारी दानापुर के क्रमांक संख्या 7025 दिनांक-13.08.2020 के द्वारा किया गया है। इस भू-पट्टी को छोड़कर ही आवेदक/निर्माणकर्ता को Boundary wall निर्माण करना होगा।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
11. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
12. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।
16. बिहार भवन उपविधि, 2014 एवं पटना मास्टर प्लान, 2031 के आलोक में स्वीकृत नक्शा में प्रावधानित ग्रीन एरिया का प्रावधान किया जाए।

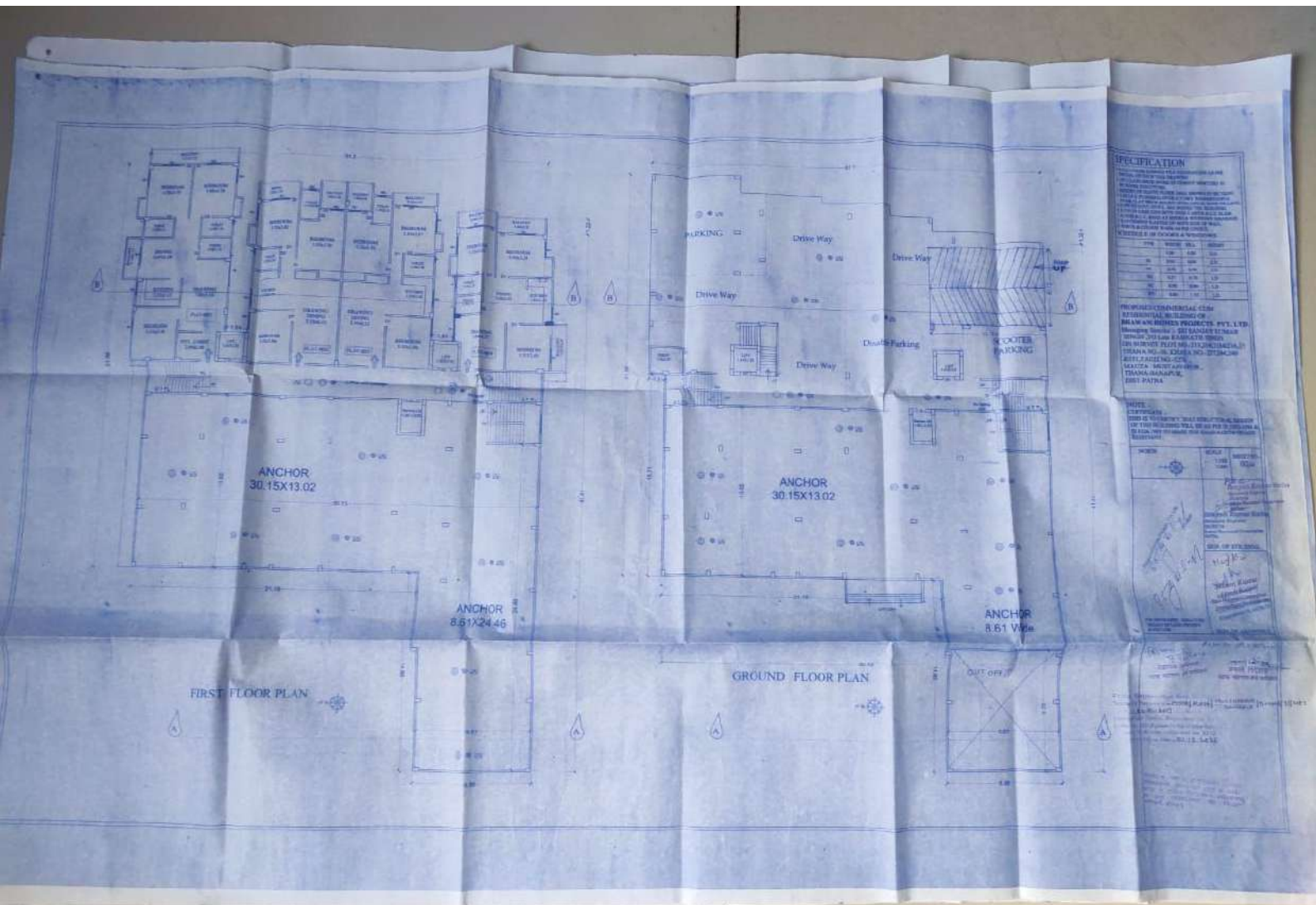
विश्वासभाजन,

Pranali Mishra
प्रभारी निदेशक, 9/1/2021

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,



2020/12/14 15:54



2020/12/14 15:54